रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042020-219059 CG-DL-E-15042020-219059

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1117] No. 1117] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 2020/चैत्र 26, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 2020/CHAITRA 26, 1942

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2020

का. आ. 1258 (अ).—बीमा नियम, 1939 के नियम 59 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 वीबी की उप-धाराओं (1) और (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार करोना वायरस रोग (कोविड-19) के कारण उत्पन्न देश में व्याप्त परिस्थिति एवं परिणामस्वरूप लाकडाउन अवधि के 15 अप्रैल 2020 को प्रारंभ करते हुए और इस तारीख से 3 मई 2020 तक आगे उन्नीस दिन के लिए किये गये विस्तार को ध्यान में रखते हुए, का.आ. 1237 (अ) दिनांक 1 अप्रैल 2020 के अनुसार जनहित में जारी किये गये भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग के आदेश को इसके द्वारा संशोधित करती है।

उपर्युक्त अधिसूचना में, " पालिसीधारक जिनके मोटरयान तृतीय पक्ष कार बीमा पालिसियों" से शब्दों के साथ प्रारम्भ हुए तथा "जिस तारीख को पॉलिसी का नवीकरण देय होता है", शब्दों के साथ समाप्त हुए पैराग्राफ में उक्त शब्दों के लिए निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"पालिसीधारक जिनकी मोटर वाहन तृतीय पक्ष बीमा पालिसियाँ 25 मार्च, 2020 को और उस तारीख से 3 मई, 2020 तक की अवधि के दौरान नवीकरण के लिए अपेक्षित हैं तथा कोरोना वायरस रोग (कोविद-19) के परिणामस्वरूप देश में व्याप्त स्थिति को देखते हुए समय पर नवीकरण प्रीमियम भुगतान करने में असमर्थ हैं, को अनुमित दी गई है कि वे अपने बीमाकर्ताओं को पालिसियों के नवीकरण के लिए इस प्रकार का भुगतान 15 मई, 2020 को अथवा उससे पहले करें जिससे

1724 GI/2020 (1)

उस तारीख जब पालिसी नवीकरण के लिए नियत है, से सांविधिक मोटर वाहन तृतीय पक्ष बीमा कवर की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके, ताकि अनुग्रह अविध के दौरान उत्पन्न किसी भी वैध दावे का भुगतान किया जा सके।

2. यह अधिसूचना उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 14017/18/2020-बीमा-II]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2020

S.O. 1258 (E).—In exercise of powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 64VB of the Insurance Act, 1938, read with rule 59 of the Insurance Rules, 1939, the Central Government, having regard to the prevailing situation in the country caused due to Corona Virus disease (COVID-19) and consequent extension of lockdown period by further nineteen days starting on and from 15th April, 2020 up to the 3rd May, 2020, hereby amends the order issued vide S.O.1237(E) dated the 1st April, 2020 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services in the public interest.

In the said notification, in the paragraph for the words beginning with "The policy holders whose motor vehicle third party insurance policies", and the words ending with "the policy falls due for renewal", the following paragraph shall be substituted, namely:—

- "The policy holders whose motor vehicle third party insurance policies fall due for renewal during the period on and from the 25th March, 2020 up to the 3rd May, 2020 and who are unable to make payment of their renewal premium on time in view of the prevailing situation in the country as a result of Corona Virus disease (COVID-19), are allowed to make such payment for renewal of policies to their insurers on or before the 15th May, 2020 to ensure continuity of the statutory motor vehicle third party insurance cover from the date on which the policy falls due for renewal, so that any valid claim triggered during the grace period can be paid."
- 2. This notification shall come into force on the date of its publication.

[F. No. 14017/18/2020-Ins-II]

SAURABH MISHRA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली. 15 अप्रैल. 2020

का. आ. 1259 (अ).—बीमा नियम, 1939 के नियम 59 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 वीबी की उप-धाराओं (1) और (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार करोना वायरस रोग (कोविड-19) के कारण उत्पन्न देश में व्याप्त परिस्थित एवं परिणामस्वरूप लाकडाउन अवधि के 15 अप्रैल 2020 को प्रारंभ करते हुए और इस तारीख से 3 मई 2020 तक आगे उन्नीस दिन के लिए किये गये विस्तार को ध्यान में रखते हुए, का. आ. 1238 (अ) दिनांक 1 अप्रैल 2020 के अनुसार जनहित में जारी किये गये भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग के आदेश को इसके द्वारा संशोधित करती है।

उपर्युक्त अधिसूचना में, " पालिसीधारक जिनके स्वास्थ्य बीमा पालिसियों" से शब्दों के साथ प्रारम्भ हुए तथा " जिस तारीख को पॉलिसी का नवीकरण देय होता है", शब्दों के साथ समाप्त हुए पैराग्राफ में उक्त शब्दों के लिए निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"पालिसीधारक जिनकी स्वास्थ्य बीमा बीमा पालिसियाँ 25 मार्च, 2020 को और उस तारीख से 3 मई, 2020 तक की अवधि के दौरान नवीकरण के लिए अपेक्षित हैं तथा कोरोना वायरस रोग (कोविद-19) के परिणामस्वरूप देश में व्याप्त स्थिति को देखते हुए समय पर नवीकरण प्रीमियम भुगतान करने में असमर्थ हैं, को अनुमित दी गई है कि वे अपने बीमाकर्ताओं को पालिसियों के नवीकरण के लिए इस प्रकार का भुगतान 15 मई, 2020 को अथवा उससे पहले करें जिससे उस तारीख जब पालिसी नवीकरण के लिए नियत है, से स्वास्थ्य बीमा बीमा कवर की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके, तािक अनुग्रह अविध के दौरान उत्पन्न किसी भी वैध दावे का भुगतान किया जा सके।

2. यह अधिसूचना उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 14017/18/2020-बीमा -II]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2020

S.O. 1259(E).—In exercise of powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 64VB of the Insurance Act, 1938, read with rule 59 of the Insurance Rules, 1939, the Central Government, having regard to the prevailing situation in the country caused due to Corona Virus disease (COVID-19) and consequent extension of lockdown period by further nineteen days starting on and from 15th April, 2020 up to the 3rd May, 2020, hereby amends the order issued vide S.O.1238(E) dated the 1st April, 2020 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services in the public interest. In the said notification, in place of paragraph 2, the following para shall be substituted, namely:—

In the said notification, in the paragraph for the words beginning with "The policy holders whose health insurance policies", and the words ending with "on which the policy falls due for renewal", the following paragraph shall be substituted, namely:—

"The policy holders whose health insurance policies fall due for renewal during the period on and from the 25th March, 2020 up to the 3rd May, 2020 and who are unable to make payment of their renewal premium on time in view of the prevailing situation in the country as a result of Corona Virus disease (COVID-19), are allowed to make such payment for renewal of policies to their insurers on or before the 15th May, 2020 to ensure continuity of the health insurance cover from the date on which the policy falls due for renewal, so that any valid claim triggered during the grace period can be paid."

2. This notification shall come into force on the date of its publication.

[F. No. 14017/18/2020-Ins-II] SAURABH MISHRA, Jt. Secy.